रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1381] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2008/आश्विन 8, 1930

No. 1381] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2008/ASVINA 8, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2008

का.आ. 2315(अ).—अरुणाचल प्रदेश के तिरप और चांगलांग जिलों को इस मंत्रालय की दिनांक 17 सितम्बर, 1991 की अधिसूचना संख्या 603(अ) के द्वारा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अंतर्गत 17-9-1991 से अशान्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार से उक्त जिलों की स्थिति इतनी अशान्त और खतरनाक हो गई थी कि वहां सिविल शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग किया जाना जरूरी था ।

2. अरुणाचल प्रदेश के तिरप एवं चांगलांग जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा की पिछली बार मार्च, 2008 में समीक्षा की गई तथा अरुणाचल प्रदेश के इन दो जिलों की 'अशान्त क्षेत्र' के रूप में की गई घोषणा के कार्यकाल को 30 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाया गया ।

3. इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की पुन: समीक्षा की गई है । इन दोनों जिलों में विद्रोही गतिविधियों में वृद्धि का रुख प्रदर्शित हुआ है । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक/मुइवाह), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (खापलांग) तथा यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) गुटों द्वारा जबरन धन वसूली, भर्ती तथा सुरक्षा बलों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाइयों में लिप्त रहना जारी रखा गया है । अपने शिविरों से पड़ोसी देशों में आने-जाने के लिए ये उग्रवादी संगठन इन दोनों जिलों को लगातार ट्रांजिट रूट की तरह प्रयोग कर रहे हैं । नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के दोनों गुटों के मध्य अत्यधिक पारस्परिक शत्रुता भी लगातार बनी हुई है और इससे इन दोनों जिलों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति और बिगड़ गई है ।

4. अत:, केन्द्रीय सरकार का मत है कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के तहत तिरप और चांगलांग जिलों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किए जाने को । अक्तूबर, 2008 से और छह (6) माह की अवधि के लिए, तब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए, जारी रखना आवश्यक है ।

[फा. सं.-13/27/99-एन.ई.-II]

नवीन वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2008

S.O. 2315(E).—Triap and Changlang districts of Arunachal Pradesh were declared as distrubed areas under the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 w.e.f. 17-9-1991 *vide* this Ministry's Notification No. 603(E) dated 17-9-1991, as, in the opinion of the Central Government, the said districts were in such a disturbed and dangerous condition that the use of armed forces in aid of civil power was necessary.

2. The declaration of Triap and Changland districts of Arunchal Pradesh as 'disturbed areas' was last reviewed in March, 2008 and the tenure of declaration of these two districts of Arunachal Pradesh as 'disturbed areas' was extended upto 30th September, 2008.

3. A further review of the law and order situation in these two districts has since been undertaken. The activities of insurgents in these two districts have shown

an increasing trend. The National Socialist Council of Nagaland (Issac/Moviah) and National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) and United Liberation Front of Assam (ULFA) continue to indulge in extortion, recruitment, and acts of violence including those directed against Security Forces. These militant outfits continue to use these two districts as transit routes for movement to and from their camps in neighbouring countries. Intense inter-group rivalry between the two factions of National Socialist Council of Nagaland has also continued which has further vitiated the law and order situation in these two districts.

4. The Central Government is, therefore, of the opinion that continuation of Tirap and Changlang districts as 'disturbed areas' under the Armed Forces (Special Power) Act, 1958 is necessary for a further period of six (6) months with effect from 1st October, 2008, unless withdrawn earlier.

[F. No.13/27/99-NE.-II]
NAVEEN VERMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.